Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-VIII

①

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 02-12-2021 5:13 PM

Fee Receipt No	:	202102022014612	Receipt Date	:	02/12/2021
Name	:	BALJEET RAM JAT,	Document S. No.	:	202101022012152
Address	:	8 ,LAXMI NAGAR ,JODHPUR ,JODHPUR			
Document Type	:	Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A			
Face Value	:	₹ 1838541	Evaluated Value	:	₹ 6723891
Ord-Registration Fee	:	₹ 18386	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 33120	Stamp Duty	:	₹ 110400
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 162206
			Total Amount	:	₹ 162206

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1519513363171 ₹ 18686 # e-Gras Challan 54152963 ₹ 143520

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

(Seal: उप पंजीयक जयपुर (अष्टम) / पंजीयन विभाग / SUB REGISTRAR, JAIPUR VIII)

(2)

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID	21120214431R	Receipt Date	02-DEC-2021 15:21
S R Location	JAIPUR-VIII		
Receipt No	**RJ1519513363171**		
Name Of Seller	JDA		
Name Of Buyer	BALJEET RAM JAT		
Type of Document	Others - Jda Patta		
ACC Reference	NONSH/ASHOK KUMAR SHARMA/MANSAROVAR		

Stock Holding Corporation of India Limited

Paid Fees

Particulars	**Amount (Rs.)**	**Particulars**	**Amount (Rs.)**
Registration Fees	₹ 18386	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	**₹ 18686**	**Service Charges**	**₹ 30**
Grand Total	**₹ 18716**		

(Rupees Eighteen Thousand Seven Hundred Sixteen Only)

उप पंजीयक, जयपुर (अष्टम) पंजीयन विभाग SUB-REGISTRAR, JAIPUR VIII

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invaiid.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021

4400
10. 2021

आवासीय पट्टा विलेख

जोन, जयपुर

(पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत)

यह विलेख आज वर्ष................के..................माह.........................वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण/.................. बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री....बलजीत राम जाट..................पुत्र श्री....काना राम जाट..................जाति........जाट........व्यावसाय.................. निवासी....8 लक्ष्मी नगर जोधपुर....(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) दितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहा कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि आवंटन दर तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदाकर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, और उसमे उल्लेखित शर्तो और करारो जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीज्रधारक को जमीन का वह तमाम् भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ....कीर्ति नगर-F....राजस्व ग्राम ....मानपावास....के/खसरा/भूखण्ड संख्या ....F-131....में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अंतर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रुप से इससे सलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधो, बंधनों, शर्ते और करारो के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये..........—..........अंके..........—.......... मात्र पेशगी अदा करेगा, एकबारीय नगरीय निधारिण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमे राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प-6 (15)नविवि 3/87/पार्ट, जयपुर के दिनांक 29.01.2020 के अनुसरण में दर..........—........./- रूपये प्रति वर्गगज से कुल आवंटित दर राशि रु. 638845 /- शब्दों में (छः लाख अड़तीस हजार आठ सौ पैंतालीस रूपये मात्र) देय होती है जो चालान/रसीद न. 732643 दिनांक 1.10.21 से जमा है इसका 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से शहरी जमाबन्दी देय है, आदेश क्रमांक एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.01.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि रु. 159711 /- (शब्दों में एक लाख उनसठ हजार सात सौ ग्यारह रूपये मात्र) होती है, जो चालान नं. 732643 दिनांक 1.10.21 से जमा है।
3. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमिका किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अंतरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या यथास्थिति, अंतरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
4. पट्टे की अवधि :- पटटाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगें।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवास के उपयोग हेतु जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी है, के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 10 वर्ष में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन विनियमों के अनुरूप भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को नियमानुसार ही आगे और अंतरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारादिया गया है या अंतरित किया गया है। लीज धारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप-पट्टे उक्त नियमो में विहित समस्त अन्य निबंधनो और शर्तोया किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलो में जारी किये, शासित होगी।
8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ नियमों के अनुसार निधारित फीस निक्षिप्त की जायेगी, परंतु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।
9. उक्त आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति आवंटन दर दविकास शुल्क या नगरीय या ब्याज का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उप पंजीयक (अष्टम)
(पंजीयन एवं मुद्रांक)
मानसरोवर, जयपुर

(कृ.प.उ.)

10. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है की आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधिया उसके उलघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्भाण सहित उसे प्रति संहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।

12. लीजधारक द्वारा नगर विकास न्यास नगरीय भूमि के निस्तारण नियम 1974, राज्य सरकार व जविप्रा द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, बिधियों एवं आदेशो तथा योजना के अनुमोदन एवं प्रथम शिविर के समय लागू भवन विनियम आदेशो की पूर्णत पालना की जाएगी।

परिशिष्ट

कस्बे का नामः..........................
राजस्व ग्रामः मानसरोवर
प्लॉट खसरा नम्बरः F-131
योजना का नामः किरण सागर-F
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 992.84 व.मी.

पूर्व.............................. पश्चिम.............................. प्लाट की संख्या यदि कोई हो.............................. सीमा उत्तर.............................. दक्षिण.............................. मानचित्र संलग्न है।

नोटः इस भूखण्ड की शहरी जमाबंदी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रू. 1838541 होती है। अतएव स्टाम्प राशि रू. 110400+50 के नं. 0054152963 4975 के कुल संख्या (1+1) बहैसियत पटटा इसके साथ लगायें जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
आज सन् 20........ के माह.............................. के.................... वें दिन
श्री..............................
ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

उपायुक्त जोन- पीआरएन (प्रथम-II)
जयपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
सेक्टर-12, मानसरोवर, जयपुर

साक्षी :-
1. नाम.............................. संजीव शर्मा
पुत्र.............................. सेवा निवृत सहायक
व्यवसाय.............................. जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
निवास स्थान.............................. जविप्रा, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम.............................. बलवान सिंह
पुत्र.............................. (स.नि.) सहायक
व्यवसाय.............................. पी.आर.एन (दक्षिण)
निवास स्थान.............................. ज.वि.प्रा. जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज .... सन् 20.. .... के माह ....
के.............................. वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
श्री बलजीत राम जाट
लीजधारक द्वारा कार्यालय P.R.N. South-II में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-
1. नाम सुरेश कुमार चौधरी
पुत्र दयाराम चौधरी
व्यवसाय..............................
निवास स्थान रजत पथ के सामने मानसरोवर जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम प्रकाश सैनी
पुत्र बाबू लाल सैनी
व्यवसाय..............................
निवास स्थान 42 गुरु नगर विस्तार II गोल्यावास मानसरोवर

साक्षी के हस्ताक्षर

(5)

e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0054152963** Payment Date: **01/10/2021 19:28:19**

Office Name:	**SUB REGISTRAR-VIII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR**
Location:	JAIPUR (CITY)
Period:	01/04/2021-To-31/03/2022

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	11040.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	11040.00
3	0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	11040.00
4	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	110400.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**143520.00**

One Lakh Forty Three Thousand Five Hundred Twenty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **BALJEET JAT S/O KANARAM JAT**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302020)
Address:jaipur	Remarks:LEASE DEED FOR PLOT NO F 131 KIRTI SAGAR F MANGYAWAS MANSAROVER JAIPUR

Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. -	**0**
Date:	01/10/2021 19:28:19	Bank CIN No:	**000632692119201102021**
		Refrence No:	**IK0BHUQWC7**

Computer generated copy on : 01/10/2021 ***Courtsy : https://Egras.raj.nic.in***

मीनाबाला गृह निर्माण ... के
कीर्तिसागर F ... योजना ...
संख्या F-131 क्षेत्रफल 99.2 वर्गमीटर के
लीजडीड हेतु रुपये 110400+50 के स्टाम्प ... है।
21.7
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण

उप पंजीयक (अष्टम)
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)
मानसरोवर, जयपुर

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AT 507672

उप पंजीयक, जयपुर (अष्टम) पंजीयन विभाग SUB REGISTRAR, JAIPUR-VIII

कार्यालय उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण द्वितीय) जयपुर विकास प्राधिकरण

मीनाबाला .... गृह निर्माण ... की
कीर्ति सागर 12 .... योजना के ...
संख्या F/31 ...... क्षेत्रफल 991.84 वर्गफुट के ...
...जडीड हेतु रुपये 11040+50 .... के स्टाम्प ... है।

21/
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण

उप पंजीयक (अष्टम)
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)
मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक 4975 दिनांक 01/10/2021

मुद्रांक का मुल्य 500

क्रेता का नाम बलजीत जाट

पिता /पति का नाम कानाराम जाट

निवासी स्थान F-71, कीर्ति सागर-F, मानपावास, मानसरोवर, जयपुर

मुद्रांक खरीदनें का आश्य तथा सम्बन्धित कार्य का

मूल्यांकन Simo-Ph

विनोद कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 55 / 09–10
JDA परिसर, जयपुर (राज.)
Mob No. 9928300939

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

आधारभूत [illegible] हेतु 5
(धारा 3–क)–10% रुपये

[illegible] और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु 10
(धारा3–ख)–20% रुपये

कुल योग 15
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

(6)

Presentation Endorsement

आज दिनांक 02 माह 12 सन् 2021 को 05:05 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BALJEET RAM JAT पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KANA RAM JAT
उम्र 75 वर्ष, जाति 0-JAT , व्यवसाय Business
निवासी House No.:8, Colony: LAXMI NAGAR , Area: JODHPUR, City: JODHPUR , Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101022012152

हस्ताक्षर उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

उप पंजीयक (अष्टम) (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) मानसरोवर, जयपुर

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102022014612
दिनांक	02-12-2021
पंजीयन शुल्क ₹	18386
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	110400
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	33120
कुल योग	162206

202101022012152

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

उप पंजीयक (अष्टम) (पंजीयन एवं मुद्रांक ...) मानसरोवर, ज...

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/12/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 633 में
पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 202103022110229 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2529 के
पृष्ठ संख्या 1 से 20 पर चस्पा किया गया।

202101022012152 उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री BALJEET RAM JAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KANA RAM JAT, व्यवसाय Businessजाति 0-JAT House No.:8, Colony: LAXMI NAGAR , Area: JODHPUR, City: JODHPUR , Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 75 Signature :

ने लेख्यपत्र The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 1838541/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 1838541/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MALA CHOUDHARY, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BALJEET RAM JAT जाति JAT Age: 70 Add: House No.:C-166, Colony: CHANDRAVARADEI NAGAR , Area: AJMER , City: AJMER , Pin code: 305001, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Signature

202101022012152

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक (अष्टम)
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)
मानसरोवर, जयपुर

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

स्थान मानचित्र एवं आवासीय भूखण्ड संख्या– F-131

योजना का नाम – पृथ्वीराज नगर (ग्राम–मांग्यावास)
सोसायटी– मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
आवासीय ब्लॉकः– किर्ती सागर–एफ,जी,एच
भूखण्ड का क्षेत्रफल–992.84 वर्गगज
स्केल : 1 इंच = 40 फीट

उत्तर

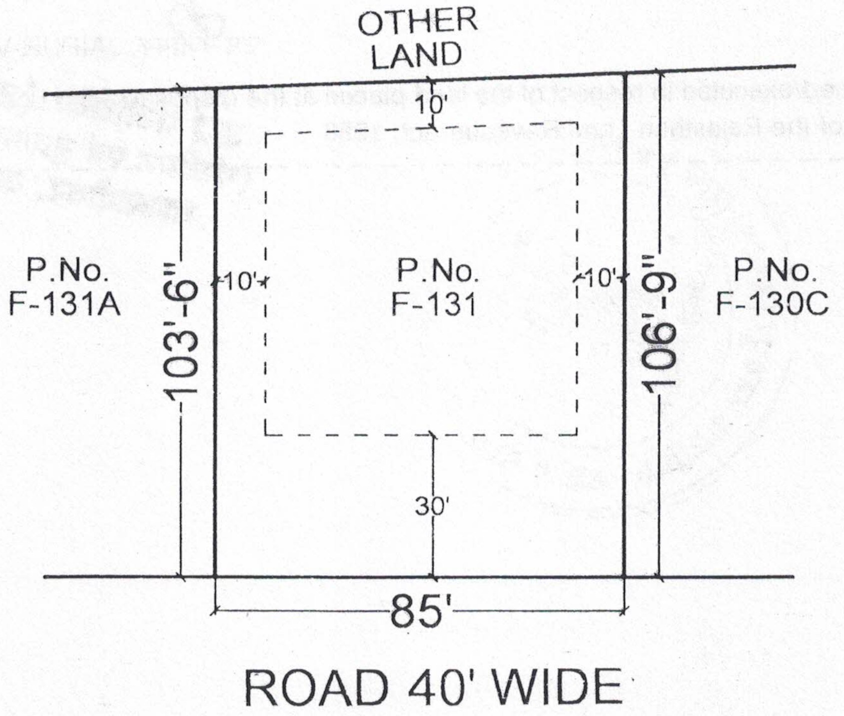

कनिष्ठ अभियंता
पी.आर.एन.(दक्षिण-II)

स.न.नि. / सहा. / उप नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण-II)

उपायुक्त
पी.आर.एन.(दक्षिण-II)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Registration Endorsement

आज दिनांक 03/12/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 633 में
पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 202103022110229 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2529 के
पृष्ठ संख्या 1 से 20 पर चस्पा किया गया।

202101022012152

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक (आदर्श)
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)
मानसरोवर, जयपुर